# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

**स्टेट बनाम रफ़ीक**

किस्म मुकदमा :– 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर :– 075/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|---|---|---|
| .2025 | आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी राज पैरोकार तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी तहसीलदार भादरा को सुना जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों (जमाबंदी, पटवार हल्का रिपॉर्ट दिनांक 06.06.2025) का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज तथा शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर आगामी पेशी तक अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित रकबा रोही चक 8 बारानी के खाता संख्या 208 के मुरबा नम्बर 144, 145, 150, 151, 161,162 की कुल 10.3870 हैक्टर रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें से मुरबा नम्बर 145 के किला नम्बर 21 ता 23 तथा मुरबा नम्बर 150 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 मुरबा नम्बर 151 के किला नम्बर 2/2, 3 ता 9, 12 ता 19 व 22, 24 25 तथा मुरबा नम्बर 161 के किला नम्बर 2, 3/2, 4 व 5 एवं मुरबा नम्बर 162 के किला नम्बर 1 **बारानी खातेदारी कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से अवैध प्लॉटिंग व अकृषि कार्य ना करें तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।** वाप्कोस कार्य DILRMP कार्य, रास्ता व खाला पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी। तहसीलदार भादरा को रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखने हेतु व अप्रार्थीगण को निर्माण कार्य बन्द करने बाबत तहरीर जारी हो। इस सम्बध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 18.08.2025 को पेश हो। | |
| 18/8/25 | राज पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री किशनलाल यादव अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मुकदमा में शा. किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब [illegible] 1.10.25 को पेश हो। | Noted<br>आ.पेशी 1-10-25 |
| 03/9/25 | प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर आज पेशी में ली गयी। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल [illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:05:04 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

पत्रावली पेश किया गया। पत्रावली बास्ते बहस दिनांक 08/09/25 को पेश हो।

08/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी एक खातेदार काश्तकार है एवं उसकी खातेदारी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से उसके खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे अवलोकन पाया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलार्थी के पक्ष में था परन्तु सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाया जाना न्यायोचित है अतः पत्रावली में दिनांक 16.07.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए पत्रावली को वर्णित स्तर पर खारिज किया जाती है। पत्रावली नतीजा [illegible] कार्यवाही दाखिल दफ्तर [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:05:04 IST
Reason: SelfAttested

KALPR SHIVRAN

उपखण्ड अधिकारी [illegible]